वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन,नया रायपुर
--0--

अधिसूचना

नया रायपुर दिनांक 06/05/2017,

कमांक एफ 4-12/2004/11/6:: भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, (क्र.9 सन् 1932) की धारा 58, 58(4), 60, 61, 62, 63, 64 के शुल्क में संशोधन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (3) से अपेक्षित अनुसार पूर्व में छत्तीसगढ़ राजपत्र, भाग-1, दिनांक 1 जुलाई 2016 में प्रकाशित किया जा चुका है और उसके संदर्भ में कोई अभ्यावेदन अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

यतः भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, (क्र.9 सन् 1932) की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 58, 58(4), 60, 61, 62, 63, 64 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, (क्र.9 सन् 1932) की धारा 58, 58(4), 60, 61, 62, 63, 64 के शुल्क को संशोधित कर अधिकतम शुल्क निम्नवत् उद्गृहीत होंगे:-

क्र.	दस्तावेज या कार्य जिसके संबंध में शुल्क देय है।	संशोधित शुल्क
1.	धारा 58 के अधीन कथन	640/-रूपये
2.	धारा 58 (4) के अधीन अपील ज्ञापन	275/-रूपये
3.	धारा 60 के अधीन कथन	128/- रूपये
4.	धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	128/- रूपये
5.	धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	65/- रूपये
6.	धारा 63 के अधीन सूचना	128/- रूपये
7.	धारा 64 के अधीन आवेदन	65/- रूपये

टीपः-(1) शुल्क में उपरोक्त वृद्धि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(2) प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात् उपरोक्त उल्लिखित दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसे निकटतम रूपये में पूर्णांकित कर प्रभावी मानी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)